

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

विषय:- बालाजी सर्विसेज द्वारा प्रस्तावित सुमित्रा इंस्टीट्यूट नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, जी.बी .नगर को पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9134/22 दिनांक 16.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त बालाजी सर्विसेज द्वारा प्रस्तावित सुमित्रा इंस्टीट्यूट नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, जी.बी .नगर को डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन-30 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में निर्धारित/स्वीकृत प्रवेश क्षमता रखी जाय तथा किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों का चयन न किया जाय।
 2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
 4. उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा उक्त शर्तों के अनुपालन हेतु संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी का होगा।
- 2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रबन्धक, बालाजी सर्विसेज द्वारा प्रस्तावित सुमित्रा इंस्टीट्यूट नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, जी.बी .नगर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।